

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 128/2023

उनवान

1- अजय शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा नि-के 9 रेलवे लाईन के सामने काशीपुरी, भीलवाड़ा तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

- 1-घीसा पुत्र श्री रामा जाट नि0 सुण्डा का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 2-भैरू पुत्र श्री रामा जाट नि0 सुण्डा का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 3-श्रीमती मांगी पत्नी श्री भैरू जाट नि0 सुण्डा का खेडा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 4-देवी पुत्र श्री उदा जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 08.02.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास, प.ह. पीपली भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 179 की आ.न. 590 रकबा 0.2655 है0, आ.न. 591/1 रकबा 0.2529 है0, कुल किता 02 रकबा 0.5184 है0, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पातलियास, प.ह. पीपली भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 179 की आ.न. 590 रकबा 0.2655 है0, आ.न. 591/1 रकबा 0.2529 है0, कुल किता 02 रकबा 0.5184 है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 08.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(सुशील कुमार सैनी)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)